अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 26.....सन् 2013–14

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–श्याम बिहारी राय प्रतिपक्षीः– (जनक दास–मृत) पुत्र– कैलास दास

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
15/4/18	प्रस्तुत वाद आवेदक श्री श्याम बिहारी राय पे0 स्व0 बहादुर राय, साकिन–चकदह के आवेदन पर अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा संधारित अभिलेख संख्या–03/13–14 में की गयी अनुशंसा के आधार पर प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। आवेदक ने मौजा–चकदह, जमाबंदी संख्या–1332 रकवा 0–3–0 रैयत का नाम–जनक दास की जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध अंचल अधिकारी से किया। अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी, हल्का संख्या–03 का प्रतिवेदन जो अंचल निरीक्षक रहिका से अग्रसारित है, में लिखा है कि मौजा–चकदह थाना नं. 33 **जमाबंदी नं. 1332** रकवा 0–3–0 लगान 11.56 रैयत का नाम–जनक दास पे0 कुनकून दास जमाबंदीदार के पुत्र से बारबार साक्ष्य की मांग किया गया किन्तु कोई साक्ष्य नहीं दिया गयां जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि वर्णित जमाबंदी कैसे सृजित हुआ है। इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्र या आदेश संख्या दर्ज नहीं है। संदेहात्मक जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। श्री श्याम बिहारी राय पिता स्व0 बहादुर राय साकिन–चकदह अंचल–रहिका, थाना–राजनगर जिला–मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष रखा गया। जमाबंदीदार जनक दास को पक्ष रखने हेतु सूचना दी गयी। किन्तु उपस्थित नहीं हुये। आवेदक ने आवेदन दिया कि जमाबंदीदार जनक दास अपने एक पुत्र कैलास दास को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये उनके स्थान पर कैलास दास पे. स्व0. जनक दास साकिन–चकदह पोस्ट–मधुबनी वार्ड नं. 1 अंचल–रहिका थाना–राजनगर जिला मधुबनी को प्रतिपक्षी के रूप में पक्ष रखने हेतु सूचना निबंधित डाक से दी गयी, स्मार सूचना भी दी गयी। किन्तु अबतक प्रतिपक्षी की ओर से वकालतन/सहालतन पक्ष नहीं रखा गया। अंचल स्तर से भी सूचना तामिला हेतु भेजा गया किन्तु तामिला प्रतिवेदन पत्रांक–240 दिनांक–29.11.16 से प्रतिवेदित जिस पर सूचना लेने से इनकार अंकित कर वापस लौटाया गया। सारी प्रकिया पर विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता से राय ली गयी। इनकी राय है कि प्रतिपक्षी ने नोटिस के बावजूद पक्ष नहीं रखा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन पर अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर प्रतिपक्षी के पक्ष में कायम जमाबंदी को रद्द करने की सलाह दी गयी।	

आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि खाता नं. 1 जदीद/198 खेसरा नं. 935/9 रकवा 1 कट्ठा 11 धुर 8 कनमा वो खाता 1 जदीद खेसरा नया 935/9 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर कुल रकवा 3 कट्ठा 1 धूर 8 कनमा आवेदक के पिता ने केवाला के माध्यम से भूमि क्रय किया। आपसी बटवारा से आवेदक के हिस्से में पड़ा जिसका **जमाबंदी संख्या–5075** कायम हुआ जिसपर आवेदक का घर–आंगन, बाड़ी–सहन है इधर विपक्षी द्वारा आवेदक की हकीयत दखली जमीन के चंद रकवा पर झंझट करने लगे। भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद संख्या–60/12–13 भी चला जिसमें आवेदक का दावा सही माना गया था। इधर आकर प्रतिपक्षी कैलास दास ने आवेदक की दखली जायदाद में से चंद रकवा का गलत आवेदन दाखिल कर गलत जमाबंदी कायम करवा लिया। आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, रहिका ने जॉचोपरान्त जमाबंदी संख्या–1332 को गलत पाया एवं रद्द करने वास्ते इस न्यायालय में अग्रसारित किया। उल्लेख किया गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस रैयत का जमीन विपक्षी खरीद किये या किसके जमाबंदी से कटकर उक्त जमाबंदी कायम हुआ। यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अतः जमाबंदी नं. 1332 को रद्द करने का आदेश देने का अनुरोध आवेदक ने अपने लिखित अभिकथन में किया है। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी के न्यायालय भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–60/2012–13 में दिनांक–05.10.12 को पारित आदेश की छाया प्रति संलग्न किया।

अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्द अभिलेख संख्या–03/13–14 का अवलोकन किया। राजस्व पंजी–II के अनुसार भूमि का विवरणः–

मौजा	जमाबंदी नं	रकवा	लगान	रैयत का नाम
चकदह	1332	0–3–0	11–50	जनक दास पे0 कुनकून दास

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख के संरक्षक होते हैं, जिनके प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि **दोनों पक्षों के बीच रैयती भूमि विवाद है**। आवेदक ने लिखित बहस में लिखा है कि उनके पूर्वज ने केवाला के माध्यम से भूमि क्रय किया जिसका **जमाबंदी संख्या–5075** अंचल अधिकारी द्वारा कायम हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा संधारित अभिलेख में पंजी–2 के अनुसार **जमाबंदी नं. 1332** के रैयत जनक दास प्रतिपक्षी के पूर्वज के नाम से कायम दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंचल अधिकारी ने जमाबंदी संख्या–1332 संदेहास्पद पाया है। रैयती भूमि विवाद का वास्तविक निराकरण हेतु माननीय सिविल न्यायालय सक्षम है। इसी ऑबजर्वेशन के साथ वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रहिका को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

15/6/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

15/6/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।